

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक 07.../सां.अनु-45/2025

टीकमगढ़, दिनांक 07 अक्टूबर, 2025

मैं श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.), मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214, 422, 441, 448 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, व्यवहार न्यायालय ओरछा में कु. भावना सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ओरछा की पदस्थापना होने से इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 104/सां.अनु-45/2025 टीकमगढ़, दिनांक 24/04/2025 में आंशिक विलोपन किया जाकर निम्नानुसार संशोधित कार्यविभाजन आदेश जारी करती हूँ :-

क्रं.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क्रं.	विवरण/प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निवाड़ी - एच.जे.एस.				
21-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री रवि प्रकाश जैन)	माह जनवरी से जून तक राजस्व तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा	15	व्यवहार अपील- समस्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी [प्रथम] (श्री मनीष छापरिया), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी (रिक्त न्याया.), द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी (रिक्त न्याया.), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश निवाड़ी (रिक्त न्याया.), व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ओरछा (कु. भावना सिंह), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा (श्री उपमन्यु शुक्ला) के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
22-	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री रवि प्रकाश जैन)	सत्र खण्ड	6	आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण:- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (प्रथम) एवं जे.एम.एफ.सी. निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया), प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं जे.एम.एफ.सी. निवाड़ी (रिक्त न्यायालय), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश एवं जे.एम.एफ.सी. निवाड़ी (रिक्त न्यायालय), व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश एवं जे.एम.एफ.सी. ओरछा (कु. भावना सिंह), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं जे.एम.एफ.सी. ओरछा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।
26-	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा (श्री उमेश भगवती)	माह जनवरी से अक्टूबर तक राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्याया0 की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
	—''—		2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- ₹0 से 500/- रुपये तक है।
	—''—		3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें।
	—''—		4	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
	—''—	—''—	5	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	—''—	—''—	6	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।

क्रं.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क्रं.	विवरण/प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	--		7	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	--		8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
26A	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (कु. भावना सिंह)	माह नवम्बर से दिसम्बर तक राजस्व तहसील ओरछा, व पृथ्वीपुर का वह भाग जो ओरछा न्याया0 की सीमा में आता है।	1	रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक) से 1,00,00,000 /-(एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध व्यवहार वाद एवं निष्पादन प्रकरण ।
	--		2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रु0 से 500/- रुपये तक है।
	--		3	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) एवं 172 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत सभी अपीलें ।
	--		4	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र ।
	--	--	5	मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
	--	--	6	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
	--		7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ओरछा द्वारा पूर्व में विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
	--		8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

तथा तहसील ओरछा हेतु जारी चार्जप्रभार में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार चार्ज प्रभार आदेश जारी किया जाता है:-

क0	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ओरछा :-				
28	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (कु. भावना सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यु शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (कु. भावना सिंह)	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यु शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)
30	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यु शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ओरछा (कु. भावना सिंह)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)

क्र०	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (रिक्त न्यायालय)	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उपमन्यु शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा उक्त संशोधित आदेश पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 104/सां.अनु-45/2025 टीकमगढ़, दिनांक 24/04/2025 का अंश रहेगा तथा पूर्व में जारी उक्त कार्यालयीन आदेश शेष यथावत् रहेगा।

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ०क्रमांक/2571/सां०अनु-45/2025
प्रतिलिपि :-

टीकमगढ़, दिनांक :- 07 अक्टूबर, 2025

1. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवाड़ी (म०प्र०)
2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, टीकमगढ़
3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी/ओरछा
4. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
5. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़/निवाड़ी
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी/ओरछा
7. प्रस्तुतकार, न्यायालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म०प्र०)
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ निवाड़ी/ओरछा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
10. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म०प्र०)
11. संबंधित श्री
- क. 1 लगायत 11 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
12. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की वेबसाइट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न- विविध आदेश

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म०प्र०)